



उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4
संख्या- 715/2026/658पी(1)/26-27-सिं0-4-सीएन-2062356
लखनऊ, दिनांक- 15 जुलाई, 2026

शुद्धि पत्र

जनपद हापुड में स्थित शिवनगरी रेगुलेटर के गेटों पर इपोक्सी पेन्टिंग एवं शेड के निर्माण की परियोजना लागत धनराशि ₹0 48.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 4701-93-051-07-14-24 (नई योजना) के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 40.00 लाख के सापेक्ष ₹0 38.76 लाख (रुपये अड़तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना के कार्यों पर व्यय करने हेतु शासनादेश संख्या-625 /2026/658पी/26-27-सिं0-4-001-सीएन-2062356, दिनांक 29.06.2026 के माध्यम से अवमुक्त की गयी है। शासनादेश पोर्टल पर निर्गत उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में लेखा शीर्षक त्रुटिवश 4701930510714 के स्थान पर 4700070511014 अंकित हो गया है।

2. अतः उपरोक्त परियोजना लागत धनराशि ₹0 48.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक-4701-93-051-07-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि ₹0 40.00 लाख के सापेक्ष ₹0 38.76 लाख (रुपये अड़तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-625 /2026/658पी/26-27-सिं0-4-001-सीएन-2062356, दिनांक 29.06.2026 के प्रस्तर-2 में लेखा शीर्षक 4701930510714 पढ़ा जाये।

3. उक्त शासनादेश संख्या-625/2026/658पी/26-27-सिं0-4-001-सीएन-2062356, दिनांक 29.06.2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबंध), गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, बिजनौर, 30प्र0।

- 9- अनु सचिव /नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेंट सिस्टम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
- 11- नियोजन अनुभाग-3
- 12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव।

<https://shasanadesh.up.gov.in>